राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकःप.6(26)राज–6 / 2014 / पार्ट / 49 जयपुर, दिनांकः 23/06/2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– समयावधि में भूमि उपयोग के संबंध में।

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 14 में जिस प्रयोजन हेतु भूमि का संपरिवर्तन किया गया है उस प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने की समयावधि निर्धारित की गई है। विहित समयावधि में भूमि का संपरिवर्तित प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से विफल रहने पर आवेदक के आवेदन पर इस अवधि को बढ़ाये जाने का प्रावधान भी उक्त नियम में किया गया।

नियम 14 में संपरिवर्तित भूमि का विहित समयावधि में उपयोग किया जाना प्रावधित है। संपरिवर्तित भूमि के समयावधि में **'उपयोग'** के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजनाए जिसमें अधिक निवेश होता है तथा विभिन्न हित सृजित होते हो जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र / सम्पदा, आवासीय कॉलोनी / परियाजनाओ अथवा अन्य परियोजनाओं, के लिये किए गये संपरिवर्तित भूमि के संबंध में यदि सम्पूर्ण भूमि पर विकसित किया जा रहा औद्योगिक क्षेत्र / सम्पदा, आवासीय कॉलोनी / परियोजनाओं अथवा अन्य परियोजनाओं में यदि आधारभूत सुविधाए सड़क आदि विकास कार्य विहित समयावधि मे पूर्ण कर लिया गया है तथा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग योग्य नही रही है तो ऐसी स्थिति में संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ उपयोग में आना माना जावेगा। उक्त संपरिवर्तित भूमि पर सभी भूखण्डो पर या सम्पूर्ण भूमि पर निर्माण होना आवश्यक नही है।

यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयाजनों हेतु विहित समयावधि में संपरिवर्तित भूमि को उपयोग में लिया जाना आवश्यक होगा।

23.6.21

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव